OA-21/2025

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद
वार्ड नं0- 13,
नगर निगम सहरसा

आवास :
न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0- 13,
सहरसा (बिहार)- 852201
मो0- : 9199990461
Email : chandansinghbjp04@gmail.com

पत्रांक 40/न0नि0/सहरसा,   दिनांक 12/11/2024

2171/LP/2024
20/11/24

सेवा में,

Hon'bal Justice Prakash Shrivastaba
Chairperson, National Green Tribinal (NGT)
New Delhi - 110001

विषयः- **नगर निगम सहरसा (बिहार) क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड सं0-13 के पूर्व पार्षद के कार्यकाल में पार्षद प्रतिनिधि महेन्द्र शर्मा के द्वारा षडयंत्र रचकर न्यू कॉलोनी (अपर समाहर्त्ता आवास) पोखर में मेडिकल कचरा फेकने एवं सीवर का पानी बहाकर पोखर को खत्म करने का साजिश रचने एवं उक्त पोखर का सौन्दर्यीकरण कराने के संबंध में ।**

ND 7

N, GT

1138/KCP
20/11/24

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में कहना है कि नगर निगम सहरसा अन्तर्गत वार्ड सं0-13 में करीब 12 हजार आबादी पर एक मात्र पोखर जो काफी वर्षो से बना है, जिसका सौन्दयीकरण मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के द्वारा 2010 में सरकारी मद की राशि से किया गया, जिस पोखर पर वार्ड 13 के साथ-साथ आस-पास के वार्ड के लोगों द्वारा उक्त पोखर पर कई वर्षो तक छठ पर्व पूजा किया जाता रहा लेकिन वार्ड के निवर्त्तमान पार्षद प्रतिनिधि महेन्द्र शर्मा के 10 वर्षो के कार्यकाल में पोखर के आस-पास बसे डॉक्टर जो प्राईवेट नर्सिंग होम चलाते है उनसे मिली-भगत कर आर्थिक लाभ लेकर उक्त पोखर में मेडिकल कचरा एवं सीवर का पानी फेकवाया जाने लगा और अपने निजी स्वार्थ के कारण पोखर को बर्वाद कर नामोनिशान मिटाने का षडयंत्र रचा गया ।

जबकि बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्र जिसमें नगर निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत सभी सरकारी पोखर की देख-रेख संबंधित नगर निकाय को निर्देशित है तथा उक्त मामला छठव्रती के साथ-साथ जनहित से भी जुड़ा है तथा उक्त पोखर की सुरक्षा एवं सौन्दर्यीकरण की जवाबदेही एवं जिम्मेवारी सभी स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारी की बनती है इसलिए सभी प्रशासनिक पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करवा रही हूँ तथा जनहित (जनता) की समस्या को उजागर कर रही हूँ ।

1- यह कि उक्त पोखर के आस-पास के बड़े-बड़े नर्सिंग होम का अवैध मेडिकल वेस्ट व कचरा एवं सीवर का गंदा पानी गिराया व बहाया जाता है जो जांच का विषय है ।

कृ0पृ0उ0.....2

2- यह कि उक्त पोखर के आस-पास बारह से चौदह हजार की आवादी खास कर महिलाएँ छठव्रती उक्त पोखर पर छठ पर्व करती थी उनका छठ व्रत नहीं हो पा रहा है पोखर में गंदगी एवं कचरा फेकने से पोखर दूषित होने की वजह से निराश होकर 03 से 04 कि0 मी0 दूर जाकर अगल-बगल के घाट पर छठ पर्व करने पर मजबूर है ।

3- यह कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि शहर के बड़े-बड़े डाक्टर का नर्सिंग होम पोखर के पास है जो अपने रसुख वो रूपये वो राजनैतिक पैरवी के बदोलत उक्त पोखर का सौन्दर्यीकरण नहीं होने देते और उसमें बाधा पहुँचाते आ रहे हैं । इन सभी डॉक्टर के नर्सिंग होम का मेडिकल कचरा एवं सीवर का पानी सरेआम फेका व गिराया जाता है। पोखर का सौन्दर्यीकरण होने से इन सभी डॉक्टरों को कचरा फेकने व सीवर का पानी बहाने में दिक्कत होगी जो जांच का विषय है ।

यह कि उक्त समस्या को लेकर मेरे वार्ड की जनता के साथ-साथ आस-पास के लोगों में काफी आक्रोश कई वर्षों से व्याप्त चला आ रहा है । पूर्व में महिला रिजर्व वार्ड होने के कारण इनके 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान इनके पार्षद प्रतिनिधि महेन्द्र शर्मा के द्वारा डॉक्टरों से मिली-भगत कर उनसे आर्थिक लाभ लेकर एक षडयंत्र के तहत पोखर को मेडिकल डम्प एरिया बनाने एवं उसको डेड घोषित करने का चक्रव्युह रचा गया । पोखर के सौन्दर्यीकरण में इनके द्वारा हमेशा बाधा पहुँचाकर समस्या को यथावत रखने का प्रयास किया गया । ये अपने निजी स्वार्थ के लिए डॉक्टरों को लाभ पहुँचाने का काम करते है जिस वजह से समस्या यथावत विद्यमान है जो जांच का विषय है ।

अतः प्रार्थना है कि उक्त सभी गंभीर बातों पर ध्यान देने की कृपा कर उक्त समस्या का निदान कराने के साथ-साथ उक्त पोखर का सफाई, सुरक्षा एवं सौन्दर्यीकरण कराने की कृपा की जाय । इसके लिए मैं एवं समस्त वार्ड निवासी सदा शुक्रगुजार बने रहेंगे।

दिनांक - 12/11/2024

विश्वासभाजिका

दीक्षा भारती
12/11/2024

दीक्षा भारती
(दीक्षा भारती)सह-सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0-13 नगर निगम सहरसा

अनुलग्नक :-
(1) कुल पेज - 19 अदद ।

बिहार राज्य के नगर निगम सहरसा क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं-13 के न्यू कालोनी परिसर में सरेआम मेडिकल कचरा फेंकने का प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ।

③ 47

[illegible]
वार्ड पार्षद सह सशक्त
स्थायी समिति सदस्य

सहरसा भास्कर

2024 महिषी • सौरबाजार • नवहट्टा सिमरी बख्तियारपुर • सोनवर्षाराज • कहरा dainik

भास्कर पड़ताल • शहर को संवारने के बजाए किया जा रहा उपेक्षित, पोखर में डाला जा रहा मेडिकल वेस्टेज

14 साल पहले 34 लाख से बने न्यू कॉलोनी पोखर की सूरत बदहाल, फेंका जा रहा कचरा

भास्कर न्यूज|सहरसा

सहरसा नगर निगम की उपेक्षा के कारण शहर के तालाबों की स्थिति दिनों दिन नारकीय बनती जा रही है। जल-जीवन हरियाली योजना से जिन पोखरों का जीर्णोद्धार कर वहां पानी, छायादार वृक्ष आदि लगाना था उस जगह को लोगों के लिए कचरा फेंकने का मुख्य केन्द्र बना दिया गया है। शहर के पॉश एरिया में शुमार न्यू कॉलोनी स्थित पोखर शहर की सुंदरता बढ़ाने की बजाय नगर निगम क्षेत्र की नारकीय स्थिति का जीता जागता नमूना पेश करता है। महज 14 साल पूर्व मुख्यमंत्री नगर विकास योजना से करीब 34 लाख की लागत से निर्मित इस पोखर की स्थिति डंपिंग ग्राउंड जैसी बनकर रह गई है। पोखर किनारे अवस्थित कुछ डाक्टरों के निजी नर्सिंग होम के गंदे नाले का पानी इसी पोखर में सरेआम गिराया जाता है। मेडिकल वेस्टेज के साथ अन्य कचरे भी फेंके जा रहे हैं तथा वाहनों की सफाई का धंधा भी इसी पोखर घाट पर किया जाता है। लाखों की लागत से निर्मित न्यू कॉलोनी पोखर के दो तरफ के हिस्सों को पूरी तरह से अतिक्रमित कर लिया गया है। पोखर में जंगली घास का साम्राज्य स्थापित है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि न्यू कॉलोनी पोखर सरकारी आलाधिकारियों अपर समाहर्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी सहित दर्जनों पदाधिकारियों के आवासीय परिसर में अवस्थित है, लेकिन इसकी दुर्दशा ठीक करने में किसी की रूचि नहीं है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप झा ने बीते छठ के समय ही किसी भी स्थिति में एक सप्ताह के अंदर पोखर की सफाई एवं अतिक्रमण हटाने की बात कही थी। धरातल पर आज तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा।

सिर्फ नाम की जल-जीवन-हरियाली योजना, पोखर को संवारने की पहल नहीं

शहर के न्यू कॉलोनी स्थित पोखर में पानी की जगह उग आई घास व सीढ़ियों पर जमा कचरा।

पोखर जीर्णोद्धार कर बनाया जा सकता है पार्क

स्थानीय लोगों का कहना है कि पोखर का जीर्णोद्धार करते हुए इसके पूर्वी एवं दक्षिणी भाग, जो कि खाली पड़ी सरकारी जमीन है, उसमें सजावटी पौधे एवं सीमेंट का बेंच बनाकर इसे एक सुंदर सा पार्क का रूप दिया जा सकता है। पार्क बनने से ना केवल मोहल्ले के बच्चे, बुजुर्ग एवं महिलाओं को एक घूमने फिरने का एक जगह मिल जाएगा, बल्कि दूर दराज से चिकित्सीय सहायता के लिए आने वाले लोगों को कुछ देर आराम करने का एक मुकम्मल जगह भी मिलेगी।

कभी यहां छठ पूजा भी होती थी

पांच-सात सालों तक नया बाजार एवं न्यू कॉलोनी के सैकड़ों वाशिंदों ने न्यू कॉलोनी स्थित पोखर में छठ पूजा भी हुआ। हालांकि नगर प्रशासन द्वारा देख रेख के अभाव में पोखर की सफाई इसीलिए बंद कर दी गई कि इसमें नर्सिंग होम का कचरा फेंका जाता है। मेडिकल कचरा फेंकने के नाम पर निगम ने कार्रवाई करने के बजाए सफाई ही बंद करवा दी। पोखर में मछली पालन कर राजस्व की प्राप्ति होती थी। हालांकि अब यह बदहाल हो गया है।

एसडीओ से रखी थी मांग

वार्ड 13 के पार्षद प्रतिनिधि चंदन कुमार सिंह कहते हैं कि इस संबंध में सदर एसडीओ को उनके द्वारा बीते छठ पूजा से पहले की गई पहल की याद दिलाते हुए पोखर के जीर्णोद्धार की मांग की गई है। साथ ही नगर निगम के लोक स्वच्छता पदाधिकारी से भी बात हुई है। दोनों अधिकारियों ने पोखर साफ करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस वर्ष न्यू कॉलोनी पोखर में निश्चित रूप से छठ पूजा का आयोजन होगा।

तीन पोखर का होगा जीर्णोद्धार

न्यू कॉलोनी, कहरा कुटी एवं सुपर बाजार स्थित पोखरों के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव बीते अक्टूबर माह में ही लिया गया है। व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के कारण काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका है। जल्द ही इन तीनों पोखरों के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बेन प्रिया, मेयर, नगर निगम

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद-सह-सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0-13 नगर निगम सहरसा

समाहरणालय, सहरसा

(विकास शाखा कार्यालय)

आदेश

मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना

मुख्यमंत्री समेकि शहरी विकास योजना अन्तर्गत वर्ष– 2009–10 के लिए जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक माननीय 20–सुत्री प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में 06.12.2009 के द्वारा प्राथमिकता के आधार पर योजना चयनित की गई। यह योजना नगर परिषद, सहरसा के क्षेत्राधीन है। कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सहरसा द्वारा तकनीकी स्वीकृति के पश्चात प्राक्कलन प्राप्त हुआ है।

अतः तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्नांकित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इस योजना हेतु कार्यान्वय एजेंसी कार्यपालक अभियंता, जिला नगर विकास अभिकरण, नगर परिषद, सहरसा को बनाया जाता है। योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत प्राक्कलन के 50% राशि मो० 80.5235 लाख प्रथम किस्त स्वरूप अग्रिम विमुक्त की जाती है। सड़क संबंधी शेष योजनाओं की जाँचोपरांत जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

क्रमांक	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	विमुक्त राशि (लाख में)
1	2	3	4
1	एन.एच.–107 से कॉलेज होते हुए पी.जी.सेन्टर तक सड़क का जिर्णोद्धार कार्य।	16.598	8.299
2	सराही कब्रिस्तान चौक से बेंगहा चौक तक पथ का जिर्णोद्धार (कालीकरण कार्य) कार्य।	47.328	23.664
3	दैत्य पोखर का जिर्णोद्धार कार्य।	34.511	17.2555
4	बहेलवा पोखर का जिर्णोद्धार कार्य।	18.111	9.0555
5	अपर समाहर्त्ता के आवास के पीछे स्थित पोखर का जिर्णोद्धार कार्य।	44.499	22.2495
	कुल :–	161.047	80.5235

योजना कार्यान्वयन की शर्ते निम्न है :–

I. योजना का कार्यान्वयन मार्गदर्शिका एवं प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप करेंगे।

II. योजना का कार्यान्वयन निविदा के आधार पर निर्धारित समय सीमा के अंदर करेंगे। समय सीमा के अंदर योजना पूर्ण नहीं कराने पर कार्यान्वयन एजेंसी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

III. कार्यान्वयन एजेंसी प्राक्कलन का हिन्दी रूपांतरण की 500 प्रतियां उस योजना से लाभान्वित होनेवाले लोगें के बीच वितरित करेंगे जिसमें योजना का नाम प्राक्कलित राशि, प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि स्पष्ट रूपेण अंकित होनी चाहिए।

IV. योजना के कार्यान्वयन एजेंसी योजना प्रारंभ होने से पूर्व एवं पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफी करेंगे जिसकी एक प्रति अभिलेख में रहेगा और एक प्रति जिला विकास शाखा, सहरसा में देंगे।

Subhash

DUDA Work Order_14.07.2010

दीक्षा भारती
21/11/2024
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

V. योजना के लिए किए गए कार्य की मापी प्रत्येक तीन दिन पर होगी साथ ही योजना स्थल पर निरीक्षण पंजी रखा जाएगा ताकि निरीक्षण पदाधिकारी अपना टिप्पणी अंकित कर सके।

VI. कार्य प्रारंभ करने के पहले कार्यान्वयन एजेंसी आश्वस्त हो ले कि विगत तीन वर्षों से इस योजना पर कोई कार्य नहीं हुआ है अथवा किसी अन्य मद से योजना स्वीकृत/निर्माणाधीन नहीं है।

VII. योजना के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा साथ ही योजना विशेष के लिए आवंटित राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में अन्य योजना के लिए नहीं की जाएगी।

VIII. योजना स्थल पर एक साईन बोर्ड होगा जिसमें योजना संख्या, योजना का नाम, प्राक्कलित राशि, अभिकर्त्ता का नाम, कनीय अभियंता का नाम एवं योजना पूर्ण होने की तिथि अंकित होना अनिवार्य है।

IX. योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पहली तारीख को निश्चित रूप से भेजेंगे तथा उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से भेजेंगे।

X. योजना पूर्ण होने से पूर्व समय–समय पर जिला स्तर पर गठित उड़नदस्ता दल द्वारा जाँच अनिवार्य रूप से करायी जाय। तकनीकी कोषांग के कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा निरीक्षण एवं निगरानी करते रहेंगे।

विश्वासभाजन

ह० ——

जिलाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक– 683-2/विकास, सहरसा, दिनांक– 15/7/10

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता जिला नगर विकास अभिकरण, नगर परिषद, सहरसा को योजना का कार्यान्वयन हेतु सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नाजिर, डी०आर०डी०ए०, सहरसा को स्वीकृति अग्रिम राशि का चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

[signature] 15.7

जिलाधिकारी
सहरसा।

दीक्षा भारती
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

Subhash

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, सहरसा।

पत्रांक :– 1557   सहरसा/दिनांकः– 07-10-2023

O/C

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमंडल, सहरसा।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सहरसा।

विषयः– विभिन्न विभागों के अधीन जलकर/तालाबों का सर्वेक्षण के उपरांत जलकरों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– जिला मत्स्य कार्यालय, सहरसा का पत्रांक–654/मत्स्य, दिनांक–05.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक बिषयक कहना है कि सहरसा निगम के अन्तर्गत ज्यादातर सरकारी भूमि PWD के नाम से खतीयान में दर्ज है। PWD भूमि पर के तालाबों/जलकरों की देखभाल सामान्यतः नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। जैसे की आई०डी० सिंह चौक के पास वाला तालाब, न्यू कॉलोनी नया बजार सहरसा, सुपर मार्केट वाला तालाब सहरसा आदि के विकास कर मत्स्य उत्पादन करने हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनापत्ति दी जाती है।

दीक्षा भारती
/11/2024
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

विश्वासभाजन

07-10-2023
कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, सहरसा।

मुमुक्षु कुमार चौधरी
(बि०प्र०से०)
नगर आयुक्त,
नगर निगम सहरसा।

बिहार सरकार
(नगर विकास एवं आवास विभाग)

☎ – 9431258834
✉ – nagarnigamsahars@gmail.com

पत्रांक 1894 न०नि०/।

प्रेषक,

नगर आयुक्त
नगर निगम सहरसा।

सेवा में,

अंचलाधिकारी,
कहरा, सहरसा।

दिनांक:– 30/10/24 /

विषय :– अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर निगम सहरसा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नं0–13, स्थित न्यू कॉलोनी पोखर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना है। उक्त कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

अतः उक्त कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 30.10.2024
नगर आयुक्त,
नगर निगम, सहरसा।

ज्ञापांक 5090 दिनांक 05/11/24

प्रतिलिपि:- श्री मणिकांत पाल, राजस्व कर्मचारी नगरपरिषद एवं श्री जय प्रकाश अंचल अमीन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना का स्थलीय जांच कर संयुक्त जांच प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 05.11.24
अंचल अधिकारी
कहरा।

दीक्षा भारती
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

दीक्षा भारती

वार्ड पार्षद
वार्ड नं0– 13,
नगर निगम सहरसा

आवास :
न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0– 13,
सहरसा (बिहार)– 852201
मो0– : 9199990461
Email : chandansinghbjp04@gmail.com

पत्रांक– 37/न0नि0/सहरसा,   दिनांक 28/10/2024

सेवा में,

श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय,
सहरसा ।

विषय :– **नगर निगम सहरसा अन्तर्गत वार्ड नं0–13 के न्यू कॉलोनी पोखर को अतिक्रमण मुक्त करने एवं कचरा फेकने व सीवर का पानी बहाने पर रोक लगाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय संबंध में कहना है कि अगामी छठ पूजा को देखते हुए नया बाजार न्यू कॉलोनी, सराही क्षेत्र का एक मात्र पोखर (न्यू कॉलोनी) रहने के कारण छठव्रतियों को अपने घर के नजदीक छठ पूजा करने में सुविधा होती है, लेकिन आस-पास कई डॉक्टर का निजी क्लीनिक रहने के कारण उसमें मेडिकल कचरा फेकनें एवं सीवर का पानी बहाने के कारण पोखर का पानी दुषित एवं जहरीला हो गया है । साथ ही उक्त डॉक्टर के साथ-साथ अन्य लोगों के द्वारा पोखर के पश्चिमी एवं उत्तरी भाग को अवैध रूप से अतिक्रमित कर झोपड़ी बनाकर रहने भी लगे हैं । डॉक्टर एवं अतिक्रणकारियों के द्वारा अपने शौचालय एवं सीवर का पानी रात के अंधेरे में पोखर में बहाया जाता है और दूषित कचरा फेक कर पोखर के साथ-साथ आस-पास के वातावरण को जहरीला एवं दूषित कर दिया गया है ।

अतः अगामी छठ पूजा को देखते हुए मेरे वार्ड का एक मात्र पोखर की उड़ाही करने के साथ-साथ अतिक्रमण मुक्त करायी जाय एवं मेडिकल कचरा फेकने वो सीवर का पानी बहाने वालों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज के साथ-साथ दण्डात्मक शूल्क वसूली की प्रक्रिया की जाय। इसके लिए श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगी ।

दीक्षा भारती 28/10/2024
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

RF291076174IN IVR:8270291076174
RL SPC SAHARSA RMS <852201>भारतीय डाक
Counter No:1,28/10/2024
To:D.M .SAHARSA
PIN:852202, Saharsa Collec SO
From:DEEKSHA BHA,NAGAR NIGAM SAHA
Wt:10gms,REG=17.0
Amt:25.96,Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>
India Post

विश्वासभाजिका
दीक्षा भारती 28/10/2024
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद
वार्ड नं0- 13,
नगर निगम सहरसा

आवास :
न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0- 13,
सहरसा (बिहार)- 852201
मो0- : 9199990461
Email : chandansinghbjp04@gmail.com

पत्रांक – 38/न0नि0सहरसा, दिनांक 28/10/2024

सेवा में,

श्रीमान् आयुक्त महोदय,
कोशी प्रमंडल, सहरसा ।

विषय :- **नगर निगम सहरसा अन्तर्गत वार्ड नं0-13 के न्यू कॉलोनी पोखर को अतिक्रमण मुक्त करने एवं कचरा फेकने व सीवर का पानी बहाने पर रोक लगाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय संबंध में कहना है कि अगामी छठ पूजा को देखते हुए नया बाजार न्यू कॉलोनी, सराही क्षेत्र का एक मात्र पोखर (न्यू कॉलोनी) रहने के कारण छठव्रतियों को अपने घर के नजदीक छठ पूजा करने में सुविधा होती है, लेकिन आस-पास कई डॉक्टर का निजी क्लीनिक रहने के कारण उसमें मेडिकल कचरा फेकनें एवं सीवर का पानी बहाने के कारण पोखर का पानी दुषित एवं जहरीला हो गया है । साथ ही उक्त डॉक्टर के साथ-साथ अन्य लोगों के द्वारा पोखर के पश्चिमी एवं उत्तरी भाग को अवैध रूप से अतिक्रमित कर झोपड़ी बनाकर रहने भी लगे हैं । डॉक्टर एवं अतिक्रणकारियों के द्वारा अपने शौचालय एवं सीवर का पानी रात के अंधेरे में पोखर में बहाया जाता है और दूषित कचरा फेक कर पोखर के साथ-साथ आस-पास के वातावरण को जहरीला एवं दूषित कर दिया गया है ।

अत: अगामी छठ पूजा को देखते हुए मेरे वार्ड का एक मात्र पोखर की उड़ाही करने के साथ-साथ अतिक्रमण मुक्त करायी जाय एवं मेडिकल कचरा फेकने वो सीवर का पानी बहाने वालों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज के साथ-साथ दण्डात्मक शूल्क वसूली की प्रक्रिया की जाय। इसके लिए श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगी ।

दीक्षा भारती
1/11/2024
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

RF291076055IN IVR:8270291076055
RL SPC SAHARSA RMS <852204>
Counter No:1,28/10/2024,
To:COMMISSIONER ,KOSI PRA
PIN:852202, Saharsa Collet SO
From:DEEKSHA BHA.NAGAR NIGAM SAHA
Wt:10gms,REG=17.0
Amt:25.96,Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

विश्वासभाजिका
दीक्षा भारती
28/10/2024
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

दीक्षा भारती

वार्ड पार्षद

वार्ड नं0- 13,
नगर निगम सहरसा

आवास :
न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0- 13,
सहरसा (बिहार)- 852201
मो0- : 9199990461
Email : chandansinghbjp04@gmail.com

पत्रांक - 35/न०नि०/सहरसा, **दिनांक.** 28/10/2024

सेवा में,

श्रीमान् नगर आयुक्त महोदय,
नगर निगम, सहरसा ।

विषय :- **नगर निगम सहरसा अन्तर्गत वार्ड नं0-13 के न्यू कॉलोनी पोखर को अतिक्रमण मुक्त करने एवं कचरा फेकने व सीवर का पानी बहाने पर रोक लगाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय संबंध में कहना है कि अगामी छठ पूजा को देखते हुए नया बाजार न्यू कॉलोनी, सराही क्षेत्र का एक मात्र पोखर (न्यू कॉलोनी) रहने के कारण छठव्रतियों को अपने घर के नजदीक छठ पूजा करने में सुविधा होती है, लेकिन आस-पास कई डॉक्टर का निजी क्लीनिक रहने के कारण उसमें मेडिकल कचरा फेकनें एवं सीवर का पानी बहाने के कारण पोखर का पानी दुषित एवं जहरीला हो गया है । साथ ही उक्त डॉक्टर के साथ-साथ अन्य लोगों के द्वारा पोखर के पश्चिमी एवं उत्तरी भाग को अवैध रूप से अतिक्रमित कर झोपड़ी बनाकर रहने भी लगे हैं । डॉक्टर एवं अतिक्रणकारियों के द्वारा अपने शौचालय एवं सीवर का पानी रात के अंधेरे में पोखर में बहाया जाता है और दूषित कचरा फेक कर पोखर के साथ-साथ आस-पास के वातावरण को जहरीला एवं दूषित कर दिया गया है ।

अतः अगामी छठ पूजा को देखते हुए मेरे वार्ड का एक मात्र पोखर की उड़ाही करने के साथ-साथ अतिक्रमण मुक्त करायी जाय एवं मेडिकल कचरा फेकने वो सीवर का पानी बहाने वालों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज के साथ-साथ दण्डात्मक शूल्क वसूली की प्रक्रिया की जाय।

इसके लिए श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगी ।

विश्वासभाजिका

दीक्षा भारती
28/10/2024

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद-सह-सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0-13 नगर निगम सहरसा

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, कोशी प्रमंडल, सहरसा
2. श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय, सहरसा

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद
वार्ड नं0– 13,
नगर निगम सहरसा

आवास :
न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0– 13,
सहरसा (बिहार)– 852201
मो0– : 9199990461
Email : chandansinghbjp04@gmail.com

पत्रांक– 36/न0नि0/सहरसा,

दिनांक 28/10/2024

सेवा में,

श्रीमान् अनुमंडल पदाधिकारी महोदय,
सदर, सहरसा ।

विषय :– **नगर निगम सहरसा अन्तर्गत वार्ड नं0-13 के न्यू कॉलोनी पोखर को अतिक्रमण मुक्त करने एवं कचरा फेकने व सीवर का पानी बहाने पर रोक लगाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय संबंध में कहना है कि अगामी छठ पूजा को देखते हुए नया बाजार न्यू कॉलोनी, सराही क्षेत्र का एक मात्र पोखर (न्यू कॉलोनी) रहने के कारण छठव्रतियों को अपने घर के नजदीक छठ पूजा करने में सुविधा होती है, लेकिन आस-पास कई डॉक्टर का निजी क्लीनिक रहने के कारण उसमें मेडिकल कचरा फेकनें एवं सीवर का पानी बहाने के कारण पोखर का पानी दुषित एवं जहरीला हो गया है । साथ ही उक्त डॉक्टर के साथ-साथ अन्य लोगों के द्वारा पोखर के पश्चिमी एवं उत्तरी भाग को अवैध रूप से अतिक्रमित कर झोपड़ी बनाकर रहने भी लगे हैं । डॉक्टर एवं अतिक्रणकारियों के द्वारा अपने शौचालय एवं सीवर का पानी रात के अंधेरे में पोखर में बहाया जाता है और दूषित कचरा फेक कर पोखर के साथ-साथ आस-पास के वातावरण को जहरीला एवं दूषित कर दिया गया है ।

अतः अगामी छठ पूजा को देखते हुए मेरे वार्ड का एक मात्र पोखर की उड़ाही करने के साथ-साथ अतिक्रमण मुक्त करायी जाय एवं मेडिकल कचरा फेकने वो सीवर का पानी बहाने वालों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज के साथ-साथ दण्डात्मक जुर्माना वसूली की प्रक्रिया की जाय ।

इसके लिए श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगी ।

दीक्षा भारती
6/11/2024
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

विश्वासभाजिका
दीक्षा भारती
28/10/2024
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् आयुक्त महोदय, कोशी प्रमंडल, सहरसा
2. श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय, सहरसा

दीक्षा भारती

वार्ड पार्षद

वार्ड नं0- 13,
नगर निगम सहरसा

आवास :
न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0- 13,
सहरसा (बिहार)- 852201
मो0- : 9199990461
Email : chandansinghbjp04@gmail.com

पत्रांक- 39/न0नि0सहरसा,

दिनांक 28/10/2024

सेवा में,

माननीय प्रधानमंत्री महोदय,
भारत सरकार, नई दिल्ली ।

विषय :- **नगर निगम सहरसा अन्तर्गत वार्ड नं0-13 के न्यू कॉलोनी पोखर को अतिक्रमण मुक्त करने एवं कचरा फेकने व सीवर का पानी बहाने पर रोक लगाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय संबंध में कहना है कि अगामी छठ पूजा को देखते हुए नया बाजार न्यू कॉलोनी, सराही क्षेत्र का एक मात्र पोखर (न्यू कॉलोनी) रहने के कारण छठव्रतियों को अपने घर के नजदीक छठ पूजा करने में सुविधा होती है, लेकिन आस-पास कई डॉक्टर का निजी क्लीनिक रहने के कारण उसमें मेडिकल कचरा फेकनें एवं सीवर का पानी बहाने के कारण पोखर का पानी दुषित एवं जहरीला हो गया है । साथ ही उक्त डॉक्टर के साथ-साथ अन्य लोगों के द्वारा पोखर के पश्चिमी एवं उत्तरी भाग को अवैध रूप से अतिक्रमित कर झोपड़ी बनाकर रहने भी लगे हैं । डॉक्टर एवं अतिक्रणकारियों के द्वारा अपने शौचालय एवं सीवर का पानी रात के अंधेरे में पोखर में बहाया जाता है और दूषित कचरा फेक कर पोखर के साथ-साथ आस-पास के वातावरण को जहरीला एवं दूषित कर दिया गया है ।

अतः अगामी छठ पूजा को देखते हुए मेरे वार्ड का एक मात्र पोखर की उड़ाही करने के साथ-साथ अतिक्रमण मुक्त करायी जाय एवं मेडिकल कचरा फेकने वो सीवर का पानी बहाने वालों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज के साथ-साथ दण्डात्मक शूल्क वसूली की प्रक्रिया की जाय। इसके लिए श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगी ।

दीक्षा भारती
21/11/2024
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

EF462771433IN IVR:6970462771433
SP SPC SAHARSA RMS <852...>
Counter No:1,28/10/2024,...
To:PMO ,SOUTH BLOCK NEW DELHI
PIN:110011, Nirman Bhawan SO
India Post
From:DEEKSHA BHA,NAGAR NIGAM SAHA
Wt:10gms
Amt:41.30,Tax:6.30,Amt.Paid:41.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

विश्वासभाजिका
दीक्षा भारती
28/10/2024
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद

वार्ड नं0- 13,
नगर निगम सहरसा

आवास :
न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0- 13,
सहरसा (बिहार)- 852201
मो0- : 9199990461
Email : chandansInghbjp04@gmail.com

पत्रांक – 20/70/70/सहरसा

दिनांक 15/11/2023

सेवा मे,

श्रीमान् जिला पदाधिकारी महोदय,
सहरसा ।

विषय :- छठ महापर्व को देखते हुए न्यू कॉलोनी वार्ड नं0-13 के पोखर की उड़ाही एवं साफ-सफाई करवाने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्ध में कहना है कि न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0-13 की एकमात्र पोखर है । जिसमें लगभग 12 हजार आबादी के लोग छठ पूजा किया करते थे, लेकिन वर्त्तमान में पोखर में गंदगी रहने के कारण न्यू कॉलोनी, नया बाजार वासियों को लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित मत्स्यगंधा पोखर जाना पड़ता है, आगामी छठ महापर्व को देखते हुए न्यू कॉलोनी पोखर की उड़ाही एवं साफ-सफाई जल्द से जल्द कराई जाय और उसमें छठ महापर्व किया जा सके । जिससे छठव्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े ।

अतः इसके लिए श्रीमान् की आभारी रहूँगी ।

दीक्षा भारती
15/11/2024
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

विश्वासभाजन
दीक्षा भारती
15/11/2023
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद
वार्ड नं0- 13,
नगर निगम सहरसा
सशक्त स्थायी समिति सदस्य

आवास :
न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0- 13,
सहरसा (बिहार)- 852201
मो0- : 9199990461
Email : chandansinghbjp04@gmail.com

पत्रांक - 23/न0नि0/सहरसा

दिनांक 16/11/2023

सेवा मे,

श्रीमान् नगर आयुक्त महोदय,
नगर निगम, सहरसा ।

विषय :- **छठ महापर्व को देखते हुए न्यू कॉलोनी वार्ड नं0-13 के पोखर की उड़ाही एवं साफ-सफाई करवाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्ध में कहना है कि न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0-13 की एकमात्र पोखर है । जिसमें लगभग 12 हजार आबादी के लोग छठ पूजा किया करते थे, लेकिन वर्त्तमान में पोखर में गंदगी रहने के कारण न्यू कॉलोनी, नया बाजार वासियों को लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित मत्स्यगंधा पोखर जाना पड़ता है, आगामी छठ महापर्व को देखते हुए न्यू कॉलोनी पोखर की उड़ाही एवं साफ-सफाई जल्द से जल्द कराई जाय और उसमें छठ महापर्व किया जा सके । जिससे छठव्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े ।

अतः इसके लिए श्रीमान् की आभारी रहूँगी ।

Kundan 16.11.23

विश्वासभाजन

दीक्षा भारती

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद-सह-सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0-13 नगर निगम सहरसा

प्रतिलिपिः-

1. जिला पदाधिकारी, सहरसा
2. अनुमंडल पदाधिकारी, सदर सहरसा

दीक्षा भारती
16/11/2023
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद-सह-सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0-13 नगर निगम सहरसा

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद
वार्ड नं0- 13,
नगर निगम सहरसा
सशक्त स्थायी समिति सदस्य

आवास :
न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0- 13,
सहरसा (बिहार)- 852201
मो0- : 9199990461
Email : chandansinghbjp04@gmail.com

पत्रांक – 21/वा0पा0/सहरसा

दिनांक..16/11/2023...

सेवा मे,

श्रीमान् सदर अनुमंडल पदाधिकारी,

सदर, सहरसा ।

विषय :- छठ महापर्व को देखते हुए न्यू कॉलोनी वार्ड नं0–13 के पोखर की उड़ाही एवं साफ-सफाई करवाने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सम्बन्ध में कहना है कि न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0–13 की एकमात्र पोखर है । जिसमें लगभग 12 हजार आबादी के लोग छठ पूजा किया करते थे, लेकिन वर्त्तमान में पोखर में गंदगी रहने के कारण न्यू कॉलोनी, नया बाजार वासियों को लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित मत्स्यगंधा पोखर जाना पड़ता है, आगामी छठ महापर्व को देखते हुए न्यू कॉलोनी पोखर की उड़ाही एवं साफ-सफाई जल्द से जल्द कराई जाय और उसमें छठ महापर्व किया जा सके । जिससे छठव्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े ।

अतः इसके लिए श्रीमान् की आभारी रहूँगी ।

16.11.23

विश्वासभाजन

दीक्षा भारती

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

प्रतिलिपिः–

1. जिला पदाधिकारी, सहरसा
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, सहरसा
3. नगर उपायुक्त, नगर निगम, सहरसा

दीक्षा भारती

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

चंदन सिंह
(RTI कार्यकर्ता)
प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
सह
जिला प्रभारी (मधेपुरा)
भारतीय जनता युवा मोर्चा
बिहार प्रदेश, पटना

भारतीय जनता युवा मोर्चा

आवास :-
वार्ड नं0- 09, न्यू कॉलोनी
सहरसा
मोबाईल नं.- 9199990461
ई-मेल :-
chandansingbjp04@gmail.com

दिनांक - 12/10/2022

सेवा में,

श्रीमान् कार्यपालक पदाधिकारी महोदय,
नगर निगम, सहरसा ।

विषय : (1) सहरसा नगर निगम के पुराना वार्ड सं0-09, नया वार्ड सं0-13 में लगे सभी खराब/ बंद पड़े लाईट को बदलने (2) अगामी छठ पर्व को देखते हुए सभी पोखरों की अविलम्ब साफ-सफाई एवं उराही (3) सभी नालों की सफाई एवं उराही अति शीघ्र करने (4) नियमित झाडू एवं कचरा उठाव कराने व (5) मच्छरों का बढ़ते प्रकोप एवं डेंगू बीमारी के फैलाव की संभावना को देखते हुए फॉगींग एवं कीटनाशक का छिड़काव कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संबंध में कहना है कि वार्ड नं0-9/13 में जो लाईट कई महीने से खराब पड़े लाईट को बदलने एवं ठीक करने की कृपा की जाय एवं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को देखते हुए डॉ0 कल्याणी सिंह पोखर एवं सराही पोखर की उराही एवं साफ-सफाई कराने की व्यवस्था की जाय । वार्ड नं0-9/13 के नालें की नियमित साफ-सफाई नहीं होने के कारण सड़क पर पानी एवं कचरा जमा रहता है जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है साथ ही सुबह-शाम नियमित पूरे वार्ड में झाड़ू नहीं लगने से सड़क पर काफी गंदगी फैली रहती है एवं नियमित कचड़े का उठाव नहीं होने से भी चारों तरफ गंदगी फैली रहती है । जिस कारण मच्छरों का प्रकोप पानी जमा होने से काफी बढ़ गया है। जिससे डेंगू फैलने की भी प्रवल संभावना है । इसको देखते हुए मच्छरों के प्रभाव को रोकने के लिए फॉगींग के साथ-साथ कीटनाशक का छिड़काव पूरे वार्ड में कराई जाय ।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उपरोक्त समस्याओं व शिकायत की ओर शीघ्रताशीघ्र ध्यान देकर राहत पहुँचाने की कृपा की जाय ।

इसके लिए श्रीमान् का आभारी रहूँगा ।

12/10/22

दीक्षा भारती
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद–सह–सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0–13 नगर निगम सहरसा

आपका विश्वासी
चंदन सिंह 12/10/2022
(चंदन सिंह)
न्यू कॉलोनी, वार्ड नं0-9/13
सहरसा ।

सेवा में,
श्रीमान् नगर आयुक्त / स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी
नगर निगम, सहरसा ।

विषय → नाला अतिक्रमण कर सीवर का पानी नाला में बहाने के संबंध में ।

महाशय,
उपरोक्त विषयक संबंध में कहना है कि वार्ड सं०-13 में डॉ० अजय सिंह के क्लिनिक से हरि निवास होते हुए रवि सिन्हा के घर तक नाला का निर्माण किया गया, एक तो नाला के निर्माण में ही गड़बड़ी रहने के कारण नाला की निकासी कहीं नहीं की गई है और पानी का बहाव भी उल्टा रहने के कारण पानी निकल कर यत्र तत्र फैल रहा है, इसपर से नाले के आस-पास बसे लोगों के द्वारा नाला का अतिक्रमण कर अपने घर व क्लिनिक के सीवर / सेप्टिक का पानी सीधे नाले में जोड़कर पानी की निकासी की जा रही है, इस नाला का कनेक्शन किसी अन्य नाला में नहीं रहने एवं नाला पूर्णतः पैक रहने के कारण लोगों के सीवर का पानी छोड़े जाने के कारण पानी क्षमता से ज्यादा यत्र तत्र जमा होने पर सीवर / सेप्टिक का पानी रहने के कारण दुर्गंध फैलने से आसपास के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है, बच्चे घर से निकलकर स्कूल नहीं जा रहे हैं। दुर्गंध फैलने के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, इन सबको देखते हुए नाला को अतिक्रमित करने वाले संस्थान एवं व्यक्ति एवं अपने सीवर / सेप्टिक का पानी बहाने वाले संस्थान एवं व्यक्ति जो निम्न है, अतिशीघ्र नोटिस जारी कर सीवर / सेप्टिक के पानी पर रोक लगाई जाए एवं नाला को अतिक्रमण मुक्त करवाई जाए।
कार्रवाई हेतु श्रीमान् का आभारी रहूँगा।

सीवर / सेप्टिक का पानी बहाने वाले व्यक्ति के नाम की सूची →
(1) राजेश कुमार - हरि निवास, नयाबाजार
(2) कौशल्या नर्सिंग होम एण्ड चाइल्ड केयर सेन्टर
(3) डॉ० अजय कुमार सिंह, आयुष अर्नव नर्सिंग होम
(4) डॉ० R.D. सिंह क्लिनिक, नयाबाजार
(5) शिव फुड एण्ड बैंकेट वेडिंग हॉल, अशोक यादव
(6) सिटी फुड कॉर्नर, न्यू कॉलोनी
~~[illegible]~~
~~(7) [illegible]~~

विश्वासभाजन
नरेश कुमार राम
02/03/2024
वार्ड सचिव / सफाई कर्मी
वार्ड सं०-13, नगर निगम, सहरसा
दिनांक - 02/03/2024

Shw
2/3/24

दीक्षा भारती
13/11/2024
दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद-सह-सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं०-13 नगर निगम सहरसा

P.T.O

सेवा में,

नगर आयुक्त
नगर निगम, सहरसा

विषय ;- नाला अतिक्रमण के कारण नाला का गन्दा पानी सड़क पर बहने के संबंध में,

महाशय,

निवेदन है कि पिछले एक महीने से काली मंदिर के निकट वार्ड नं० 09/13 नया बाजार में नाला अतिक्रमण के कारण नाला का सारा गन्दा पानी सड़क पर बहता है जिससे आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त विषय की समस्या को यथाशीघ्र समाधान करने की कृपा की जाय।

Kundan
19.2.24

दिनांक
19.02.2024

आप का विश्वासी
समस्त नया बाजार

1. Randhir Singh
2. Raghav Pd. Singh
3. [illegible] kumar.
4. Rupesh Singh
5. Raja Babu
6. Ramjeet kumar.
7. सुरेन्द्र राय

दीक्षा भारती
[illegible] 2024

दीक्षा भारती
वार्ड पार्षद-सह-सशक्त
स्थायी समिति सदस्य
वार्ड नं0-13 नगर निगम सहरसा

Item No.02 Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No.02/2025

Diksha Bharti Applicants

Versus

State of Bihar & Ors. Respondents

Date of hearing: 24.01.2025

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: Applicant in person.

ORDER

1. Mr. Diksha Bharti has sent the present letter petition to this Tribunal complaining about illegal dumping of solid waste and discharge of sewage in the Pond situated in Ward No. 13 of Municipal Corporation, Saharsa, Bihar.

2. Under the orders of Hon'ble Chairperson the above said letter petition has been treated and registered as O.A. No. 02/2025 under sections 14 and 15 of the National Green Tribunal, 2010 for exercising suo-moto jurisdiction in view of law laid down by Supreme Court in **Municipal Corporation of Greater Mumbai Versus Ankita Sinha and others, (2022) 13 SCC 401**.

3. Briefly stated, the grievances of the applicant are that the Pond in question existing in Ward No. 13 of Municipal Corporation, Saharsa, Bihar was beautified with government funds in the Year 2012 which was used by

the residents of the Ward for many years for 'Chhath Puja'. During 10 year period of Mr. Mahender Sharma, present Municipal Councilor bio medical waste has been illegally dumped by the Nursing Homes situated in the surrounding area and sewage has been illegally discharged in the Pond in question in collusion with and by taking monetary benefits from the violators. Due to the pollution in the Pond in question thereby caused residents of the locality are compelled to go to other waterbodies three-four kilometers away.

4. *Prima facie*, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

5. In view of the averments in the application, we consider it necessary to seek response of (1) State of Bihar through Secretary, Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Bihar, (2) Member Secretary, Bihar State Wetlands Authority, (3) District Magistrate, Saharsa, Bihar, (4) Municipal Corporation, Saharsa, Bihar and (5) Bihar State Pollution Control Board (BSPCB) through Member Secretary who are impleaded as respondents no. 1 to 5.

6. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and to issue notices to respondents no. 1 to 5 requiring them to file their replies/responses.

7. Even though the application has been listed before this Bench with approval and assignment under order of Hon'ble Chairperson, but in view of the fact that the place of accrual of cause of action lies within jurisdiction of the Eastern Zone Bench of this Tribunal at Kolkata, we are of the

considered view that it will be appropriate if the application is heard by the Eastern Zone Bench of this Tribunal at Kolkata.

8. Accordingly, the Registry is directed to list the matter before the Eastern Zone Bench of this Tribunal at Kolkata on 17.03.2025 after obtaining orders from Hon'ble the Chairperson for transfer of the case.

9. Replies/responses by the respondents may be filed before the Eastern Zone Bench of this Tribunal at Kolkata at least three days before next date of hearing fixed.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

January 24, 2025
O.A. No.2/2025